प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 223/23 दिनांक 19/8/2023

2. (1) **7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
   (2) अधिनियम – धाराये .....–.....
   (3) अधिनियम .....–..... धारायें .....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 363 समय 4:40 Pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार, दिनांक– 18.08.2023
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –07.08.2023, समय.– 12:45 पीएम

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख दक्षिण–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 55 कि.मी.
   (ब) पता :– नगर पालिका रानी जिला पाली।
   .....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री कमलेश कुमार।
   (ब) पिता/पति का नाम :– सोहनलाल।
   (स) जन्म तिथि..... 31 साल।
   (द) राष्टीयता,:– भारतीय
   (द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय :– प्राईवेट व्यवसाय।
   (ल) पता:– वार्ड नं. 8, ग्राम रानी जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री सुनिल खींचड़ पुत्र श्री रामकिशन खीचड़ उम्र 25 वर्ष जाति विश्नोई निवासी जयसिंह देशर मगरा पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर हाल सफाई कर्मचारी (सहयोग कर्मी 69क, पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी जिला पाली

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

Scanned with CamScanner

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली–।।

विषय– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदयजी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै कमलेश कुमार निवासी चौधरियो का वास वार्ड नं. 8 कस्बा रानी जिला पाली में मेरा व मेरी माता श्रीमति फाउडी पत्नि श्री सोहनलाल जाति माली निवासी चौधरियो का बास वार्ड नं. 8 रानी जिला पाली के दो अलग–अलग भूखण्ड पास–पास ही स्थित है। हमारे इन दोनो प्लॉट पर एक सामलाती मकान बन रहा है, इन दोनो भूखण्डो का पट्टा जारी करने हेतु मैने व मेरी माता श्रीमति फाउडी नें अलग अलग आवेदन नगर पालिका रानी में किये तथा इन भूखण्डो से सम्बंधित सभी दस्तावेज नगर पालिका रानी में जमा करवा दिये तथा पट्टा जारी कराने की शुल्क भी मेरी दिनांक 6/1/23 तथा मेरी माता फाउडी की दिनांक 8/2/23 को जमा करा दी। नगर पालिका द्वारा हमारे कागजों की जांच कर पट्टा बना दिया तथा दोनों भूखण्डों के खरीद इत्यादी के असल दस्तावेज जमा कराने हेतु कहां तो मैने नगर पालिका में तैनात सुनिल खीचर को कहा हमारे इन दोनों भूखण्डों पर मकान बनाने का लॉन ले रखा है, इसलिऐ असल कागज बैंक में जमा हैं। तो सुनील खींचर ने कहा दस्तावेज बैंक में जमा होने का शपथ–पत्र पेश कर दो। जिस पर दोनों के शपथ–पत्र तैयार कर मैने दिनांक 4/8/23 को नगर पालिका में जमा कराकर वहां मौजूद श्री सुनिल खीचर जो सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत है, लेकिन पट्टों की सारी फाईल का चार्ज उसके पास है, सभी अफसरों से साईन करवाना व फाईल चैक करना सब वोई करते है व पट्टे भी वई जारी करते है, मैने जब दोनों पट्टे मांगे तो मुझसे खर्चा पानी के तौर पर 5100/–रूपये मांगे गये। तब मैने कहां मैं बाद में लेकर आता हूँ। लेकिन मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मैं हम दोनों मेरा व मेरी माताजी दोनों के पट्टे देने की एवज में रिश्वत लेने पर पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी व मेरी माता फाउडी की सुनील खींचर से कोई दुश्मनी नहीं है तथा हमारी कोई लेन–देन बकाया नहीं है। मैं कमलेश कुमार रिपोर्ट करता हूँ आप कार्यवाही करे।

हस्ताक्षर
भवदीय
कमलेश कुमार/सोहनलाल जी,
जाति :– माली पेशा– प्राईवेट धन्धा,
निवासी वार्ड नं. 8 रानी
जिला पाली
मो. 9649546506

श्री कमलेश कुमार नें पेश किया रिपोर्ट पर विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

एस.डी.
दि. 07.08.2023
रूपसिंह
निरीक्षक पुलिस,
एसीबी पाली–द्वितीय।

श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस नें परिवादी की रिपोर्ट व अब तक की कार्यवाही के दस्तावेजात पेश किये।

एस.डी.

Scanned with CamScanner

दि. 11.08.2023
पारस सोनी
अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो पाली द्वितीय।

श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. पाली–2 रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करें।

एस.डी.
18.08.2023
पारस सोनी
अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो पाली द्वितीय।

रिपोर्ट व दस्तावेज प्राप्त किये, विधि सम्मत कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

एस.डी.
18.08.2023
महेन्द्र कुमार
उप अधीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो पाली द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 07.08.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय राजकार्य हेतु बाहर थे। उस रोज परिवादी श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति माली उम्र 31 वर्ष पेशा प्राईवेट व्यवसाय निवासी वार्ड नं. 8, ग्राम रानी जिला पाली नें ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित होकर श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " चौधरियो का बास वार्ड नं. 8 कस्बा रानी जिला पाली में मेरा व मेरी माता श्रीमति फाउडी पत्नि श्री सोहनलाल जाति माली निवासी चौधरियो का बास वार्ड नं. 8 रानी जिला पाली के दो अलग–अलग भूखण्ड पास–पास ही स्थित है। हमारे इन दोनो प्लॉट पर एक सामलाती मकान बन रहा है, इन दोनो भूखण्डो का पट्टा जारी करने हेतु मैने व मेरी माता श्रीमति फाउडी नें अलग अलग आवेदन नगर पालिका रानी में किये तथा इन भूखण्डो से सम्बंधित सभी दस्तावेज नगर पालिका रानी में जमा करवा दिये तथा पट्टा जारी कराने की शुल्क भी मेरी दिनांक 6/1/23 तथा मेरी माता फाउडी की दिनांक 8/2/23 को जमा करा दी। नगर पालिका द्वारा हमारे कागजों की जांच कर पट्टा बना दिया तथा दोनों भूखण्डों के खरीद इत्यादी के असल दस्तावेज जमा कराने हेतु कहां तो मैने नगर पालिका में तैनात सुनिल खीचर को कहा हमारे इन दोनों भूखण्डों पर मकान बनाने का लॉन ले रखा है, इसलिऐ असल कागज बैंक में जमा हैं। तो सुनील खींचर ने कहा दस्तावेज बैंक में जमा होने का शपथ–पत्र पेश कर दो। जिस पर दोनों के शपथ–पत्र तैयार कर मैने दिनांक 4/8/23 को नगर पालिका में जमा कराकर वहां मौजूद श्री सुनिल खीचर जो सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत है, लेकिन पट्टों की सारी फाईल का चार्ज उसके पास है, सभी अफसरों से साईन करवाना व फाईल चैक करना सब वोई करते है व पट्टे भी वई जारी करते है, मैने जब दोनों पट्टे मांगे तो मुझसे खर्चा पानी के तौर पर 5100/–रूपये मांगे गये। तब मैने कहां मैं बाद में लेकर आता हूँ। लेकिन मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मैं हम दोनों मेरा व मेरी माताजी दोनों के पट्टे देने की एवज में रिश्वत लेने पर पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी व मेरी माता फाउडी की सुनील खींचर से कोई दुश्मनी नहीं है तथा हमारी कोई लेन–देन बकाया नहीं है। मैं कमलेश कुमार रिपोर्ट करता हूँ आप कार्यवाही करे।

Scanned with CamScanner

अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कमलेश कुमार से पूछताछ की तो उसनें रिपोर्ट में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा बताया कि मैंने मेरी माताजी को श्री सुनिल खीचर द्वारा रिश्वत मांगने की बात बताई तो उन्होने श्री सुनिल खीचर को रिश्वत लेने पर रंगे हाथो पकडवाने हेतु मुझे कार्यवाही करने के लिये कहा। श्री कमलेश कुमार नें अपना पट्टा जारी करने हेतु नगर पालिका रानी स्टेशन में राशि 501 रूपये जमा करने की स्वयं की नाम की बुक नं. 86 की रसीद कमांक 15 दिनांक 06.01.2023 व अपनी माता श्रीमति फाउडी के नाम का पट्टा जारी करने की राशि 501 रूपये जमा करने की बुक नं. 94 की रसीद कमांक अंकित नहीं तथा दिनांक 08.02.2023 की स्वयं द्वारा प्रमाणितशुदा फोटोप्रतियां पेश की तथा इन रसीदो के असल दस्तावेजात अपने पास होना बताया। परिवादी नें बताया कि दिनांक 04.08.2023 को नगर पालिका रानी में मै हमारा पट्टा प्राप्त करने के लिये श्री सुनिल खीचर नामक कर्मचारी से मिला। श्री सुनिल खीचर नगर पालिका रानी में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है लेकिन पट्टो की पत्रावलियां का काम उसके पास है। श्री सुनिल खीचर ही पट्टा दस्तावेजो पर सम्बंधित अधिकारियो के हस्ताक्षर करवाता है तथा फाईल को चैक करता है। श्री सुनिल खीचर नें हमारे पट्टे देने के लिये मेरे से खर्चा पानी के 5100 रूपये मांगे जो रिश्वत राशि है। मैं पट्टो का विधि सम्मत शुल्क जमा करवा चुका हूँ। श्री सुनिल खीचर को मैं 5100 रूपये रिश्वत राशि मेरे जायज काम के लिये नहीं देना चाहता हूँ, इसलिये कार्यवाही के लिये मैने स्वयं रिपोर्ट लिखकर आपके आया हूं। सुनिल खीचर बिना रिश्वत लिये मुझे पट्टे नहीं देगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से मामला प्रथम दृष्ट्या लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी नें बताया कि आज अभी मैं मेरा व मेरी माता श्रीमति फाउडी का पट्टा लेने नगर पालिका रानी स्टेशन जाउंगा तो वहां मौजूद श्री सुनील खींचर मेरे से अवश्य ही रिश्वत राशि की मांग करेगा। रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्री अवतार सिंह वरिष्ठ लिपिक को निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री अवतार सिंह व परिवादी श्री कमलेश कुमार का आपस में परिचय करवाया गया तथा ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि दोनो को समझाई गई। परिवादी व अवतार सिंह व निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरो की आपस में जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को बन्द हालत में डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी श्री कमलेश कुमार के साथ उसके निजी वाहन से नगर पालिका रानी के लिये रवाना किया। उसी रोज सांय के समय श्री अवतार सिह मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आया एवं निरीक्षक पुलिस को स्वीचऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी श्री कमलेश कुमार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नगर पालिका रानी के पास पहुंचे, जहां नगर पालिका परिसर से थोड़ा पहले मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर नगर पालिका के लिये रवाना किया तथा मैं वही आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। मैंने श्री कमलेश कुमार को नगर पालिका रानी परिसर के अन्दर प्रवेश करते हुए देखा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री कमलेश कुमार नगर पालिका रानी से निकलकर मेरे पास आया। जिस पर मैंने उससे डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि मैं रवाना होकर नगर पालिका रानी में गया तो श्री सुनिल खीचड़ अपने कार्यालय कक्ष में बैठा मिला। जिस पर मैंने उसे 5100 खर्चा पानी के ज्यादा होने की बात कही तो उसने बातचीत के दौरान कहा कि चार दे देना, उसने फोन करके आने के लिये कहा। तत्पश्चात् परिवादी नें बताया कि मैं कुछ दिनो के लिये मेरे निजी कार्य से बाहर रहूंगा, इसलिये वापस आकर अग्रिम कार्यवाही करवाउंगा। साथ ही परिवादी नें बताया कि मैं निजी कार्य से फारीक होने पर स्वयं ही कॉल कर दूंगा। जिस पर परिवादी को वहीं रूखसत कर मैं जरिये बस हाजिर आया हूं। तत्पश्चात् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुना तो श्री अवतार सिह द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्ठि हुई तथा पाया कि उक्त रिकार्ड वार्ता में परिवादी

Scanned with CamScanner

द्वारा दो कार्यो हेतु खर्चा पानी 5100 रूपये ज्यादा बताये जाने पर संदिग्ध द्वारा चार दे देने के लिये कहता है आदि। तत्पश्चात् श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस का ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम पर स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 11.08.2023 को कार्यवाही से सम्बंधित समस्त दस्तावेज व मांग सत्यापन सम्बंधी रिकार्डिंग जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, को अग्रिम कार्यवाही श्रीमान पारस सोनी अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को सुपुर्द किये एवं समस्त हालात निवेदन किये। जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परिवादी श्री कमलेश कुमार द्वारा श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक को पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मांग सत्यापन सम्बंधी रिकार्ड वार्ता को सुना गया तथा आईन्दा परिवादी श्री कमलेश कुमार से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 16.08.2023 को वक्त 07:54 पी.एम. पर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय नें परिवादी श्री कमलेश के मोबाईल फोन नं. 9649546506 पर कॉल किया तो परिवादी नें बताया कि मैं एक–दो दिन बाद आपको कॉल कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री कमलेश नें अपने मोबाईल नं. 9649546506 से अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नं. 9829048627 पर कॉल कर बताया कि मैं आज दोपहर तक मेरी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय नें मन् महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री कमलेश द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट, कार्यवाही का रनिंग नोट एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, सुपुर्द किये तथा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही अति. पुलिस अधीक्षक महोदय नें बताया कि परिवादी दोपहर तक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जायेगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कमलेश की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मांग सत्यापन सम्बंधी रिकार्ड वार्ता को सुना गया। रिकार्ड वार्ता में परिवादी द्वारा दो कार्यो हेतु खर्चा पानी 5100 रूपये ज्यादा बताये जाने पर संदिग्ध द्वारा चार दे देने के लिये कहता है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् कोषाधिकारी कोष कार्यालय पाली के नाम की तहरीर श्री पूनाराम कानि. 165 को सुपुर्द कर कोष कार्यालय पाली के लिये रवाना किया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री कमलेश कुमार ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उसके द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी नें बताया कि रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित है तथा इस पर स्वयं के हस्ताक्षर किये हुऐ है। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्डर में दिनांक 07.08.2023 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के समक्ष स्वीच ऑन कर सुना गया तो परिवादी द्वारा दो कार्यो हेतु खर्चा पानी 5100 रूपये ज्यादा बताये जाने पर संदिग्ध द्वारा चार दे देने के लिये कहता है। उपस्थित परिवादी नें रिकार्ड वार्ता में स्वयं व संदिग्ध आरोपी श्री सुनिल खींचर की आवाज होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं रिकार्ड मांग सत्यापन वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होना पाया गया। तत्पचात् ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु जाब्ता की आवश्यकता होने से श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय पाली–प्रथम को संबोधित पत्र जरिये ई–मेल प्रेषित किया तथा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक से जरिये फोन निवेदन किया गया।

मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी एवं आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के मध्य दिनांक 07.08.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड है, को कम्प्युटर के माध्यम से सुन–सुनकर परिवादी की उपस्थिति में कम्प्युटर पर श्री अवतार सिह वरिष्ठ सहायक से टाईप करना प्रारम्भ किया गया। गवाहान उपस्थित आने पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सकीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी दरम्यान ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम से श्री नरेन्द्र

Scanned with CamScanner

कानिस्टेबल नं. 286 एवं श्री दशरथ सिंह कानिस्टेबल नं. 428 इमदाद हेतु उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात् श्री पूनाराम कानि. अपने साथ दो कार्मिक लेकर उपस्थित आया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस से संपर्क किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना–अपना परिचय कमशः श्री महेन्द्र बिजारणिया पुत्र श्री धन्नाराम उम्र 26 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चितावा पुलिस थाना चितावा जिला डीडवाना हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कोषाधिकारी पाली मोबाईल नं. 81049–09969 एवं श्री श्रवण कुमार सिंगारिया पुत्र स्व. श्री भंवरलाल सिंगारिया उम्र 58 वर्ष जाति रेगर निवासी रेगरो का मोहल्ला, नगर पालिका के पास सोजत सिटी जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कोषाधिकारी पाली मोबाईल नं. 96028–03879 के रूप में दिया। जिस पर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अगवत करवाया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो में उपस्थित परिवादी श्री कमलेश कुमार से दोनो कार्मिको का परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट दोनो कार्मिको को पढकर सुनायी गई एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं संदिग्ध श्री सुनिल खीचड़ के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, के महत्वपूर्ण अंश दोनो कार्मिको को सुनाये गये। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता से संतुष्ट होकर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री कमलेश कुमार द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कमलेश कुमार एवं आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के मध्य दिनांक 07.08.2023 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता, जो परिवादी की उपस्थिति में पूर्व से कम्प्युटर में टाईप की गई है, को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में कम्प्युटर के माध्यम से पुनः सुन–सुनकर व समझ–समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्स्कीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की जाकर वक्त 03:00 पी.एम. तक पूर्ण की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी नें स्वयं की आवाज तथा आरोपी श्री सुनिल खीचड़ की आवाज की पहचान की। तत्पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर के माध्यम से तीन पेन ड्राईव में डाउनलोड करवाया गया। एक पेन ड्राईव मूल मानते हुए रूबरू मौतबिरान एक कपडे की थैली में डालकर थैली को शिल्ड मोहर किया गया तथा थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। फर्द ट्रान्सकीप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा तैयार की गई। उक्त मूल पेन ड्राईव शिल्डशुदा एवं दो पेन ड्राईव खुली हालत में श्री पूनाराम कानिस्टेबल (मालखाना प्रभारी) को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये।

तत्पश्चात् परिवादी श्री कमलेश कुमार ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ को रिवश्त के रूप में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये। परिवादी श्री कमलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर श्रीमति कौशल्या महिला कानि. 314 से उक्त सभी नोटों पर हल्का–हल्का फिनॉप्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री कमलेश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री महेन्द्र बिजारणिया से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये श्रीमति कौशल्या महिला कानि. के हाथ से परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा फिनॉप्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की किया–प्रतिकिया के बारे में समझाईश कर दृष्टांत दिया गया। उक्त अखबार जिस पर रिश्वत राशि फिनॉप्थलीन पाउडर लगाया गया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त

Scanned with CamScanner

कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मूर्तिब की गई तथा फर्द पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् वक्त 03:40 पी.एम. पर परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमति कौशल्या महिला कानि. को कार्यालय की निगरानी हेतु कार्यालय पर ही छोड़ते हुए मन् महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस हमराह परिवादी श्री कमलेश कुमार, गवाह श्री महेन्द्र बिजारणिया, श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री नरेन्द्र कानि. के जरिये निजी वाहन, श्रीमान् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक एवं लक्ष्मणदान हैड कानि. जरिये निजी वाहन एवं श्री पूनाराम कानि मय श्री दशरथ सिंह कानि, गवाह श्री श्रवण कुमार सिंगारिया के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन मय ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्ड एवं अन्य आवश्यक उपकरणो के ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय से रवाना होकर नगर पालिका रानी के नजदीक पहुंचे, जहां मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कमलेश कुमार को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द किया एवं नगर पालिका रानी की तरफ रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, एवं समस्त हमराहियान के कार्यालय नगर पालिका रानी के आस–पास गोपनियता को ध्यान रखते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे का इन्तजार में मुकीम रहे।

वक्त 05:38 पी.एम. पर परिवादी श्री कमलेश कुमार नें अपने मोबाईल नं. 9649546506 से मन् महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 941407777 पर जरिये वाट्सऐप मैसेज कर रिश्वत राशि लेन–देन होने का ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें ब्यूरो के अन्य सदस्यो को नगर पालिका में पहुंचने का ईशारा किया, जो ईशारा मिलने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आये। तत्पश्चात् मन् महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के नगर पालिका रानी के परिसर में पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री कमलेश कुमार उपस्थित मिला। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री कमलेश कुमार से ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री सुनिल खीचड़ नें नगर पालिका 69क, पट्टा शाखा के कमरा नं. 02 में मेरे से अभी–अभी 4000 रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखे है तथा श्री सुनिल खीचड अभी भी उक्त कमरा में ही बैठा है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी को साथ लेकर मय अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के परिवादी के बताये उक्त कमरा में प्रवेश किया तो सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला तथा उसके सामने ही एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ मिला। परिवादी नें एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सुनिल खीचड़ है जिन्होने अभी अभी मेरा व मेरे माता श्रीमति फाउडी का पट्टे देने की ऐवज में मेरे से तयशुदा 4,000 रूपये बायें हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट के आगे की बांयी जेब में रखे है। श्री सुनिल खीचड़ द्वारा मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् मेरा एवं मेरी माता श्रीमति फाउडी के नाम के पट्टे की तीन–तीन प्रतियां मुझे दी तथा एक रजिस्टर में मेरे हस्ताक्षर करवाये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें उक्त व्यक्ति को मेरा एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उसका परिचय पूछा तो उसनें अपना नाम श्री सुनिल खींचड़ पुत्र श्री रामकिशन खीचड़ उम्र 25 वर्ष जाति विश्नोई निवासी जयसिंह देशर मगरा पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर हाल सफाई कर्मचारी (सहयोग कर्मी 69क, पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी जिला पाली के रूप में दिया तथा पूछने पर यह भी बताया कि मै श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रानी के मौखिक आदेशानुसार इस शाखा में सहयोग के रूप में कार्य करता हूं। तत्पश्चात् मन् उप

Scanned with CamScanner

अधीक्षक पुलिस नें सामने की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसनें अपना परिचय श्री किशनलाल पुत्र श्री बीरबल भाट उम्र 54 वर्ष जाति भाट निवासी नगर पालिका के सामने मौकमपुरा रोड़ रानी जिला पाली हाल कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका रानी, प्रभारी 69क, पट्टा शाखा के रूप में दिया। पूछने पर श्री किशनलाल नें बताया कि श्री सुनिल खीचड़ सफाई कर्मचारी है तथा मेरे द्वारा संधारित किये जाने वाले समस्त कार्यो में सहयोग हेतु श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी द्वारा जरिये मौखिक आदेश 69–क पट्टा शाखा में लगाया गया था। श्री सुनिल खीचड़ नें श्री कमलेश कुमार से अगर कोई राशि प्राप्त की है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा श्री कमलेश कुमार से कभी भी कोई राशि इत्यादि की मांग नहीं की गई थी तथा ना ही कभी प्राप्त की गई।

तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री कमलेश कुमार की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री सुनिल खीचड़ से पूछा कि अभी अभी आपने इनसे किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की है। जिस पर श्री सुनिल खीचड नें बताया कि अभी कुछ देर पहले श्री कमलेश कुमार मेरे पास आया था तथा उसने उसके स्वयं एवं उसकी माताजी श्रीमती फाउडी के पट्टा की फीस पेटे मुझे 4000 रूपये दिये है, जो मैने अपने बांये हाथ से प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखे है। जिस पर पास ही खडे परिवादी नें आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के कथनो का खण्डन करते हुऐ बताया कि श्री सुनिल खीचड़ झुठ बोल रहे है। इन्होने मेरे एवं मेरी माताजी श्रीमति फाउडी के नाम पट्टे जो नगर पालिका रानी द्वारा तैयार किये हुऐ थे, उक्त दोनो पट्टे देने के एवज में मेरे से रिश्वत के रूप में 4,000 रूपये प्राप्त किये। तत्पश्चात् उन्होने मुझे मेरे व मेरी माता श्रीमति फाउडी के नाम तैयारशुदा पट्टो की तीन–तीन प्रतियां मुझे दी तथा एक रजिस्टर में मेरे हस्ताक्षर करवाये है। इनके द्वारा दी हुई दो पट्टो की तीन–तीन अभी मेरे पास है। जिस पर पुनः आरोपी श्री सुनिल खीचड़ से पूछने पर वह निरूत्तर रहा एवं कोई जवाब नही दिया। साथ ही आरोपी से पूछा गया कि परिवादी से प्राप्त राशि में अन्य किसी का हिस्सा है, जिस पर आरोपी श्री सुनिल खीचड नें बताया कि उक्त राशि मैंने स्वयं के लिये ही प्राप्त किये है, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है।

तत्पश्चात् आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दो प्लास्टिक के साफ डिस्पोजल गिलासो में साफ पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तत्पश्चात् तैयार घोल के एक गिलास में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क आर.एच–1 एवं आर.एच–2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को भी कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क एल.एच–1 एवं एल. एच–2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के पहनी हुई जीन्स पेन्ट के आगे की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री श्रवण कुमार सिंगारिया से लिवायी गई तो आरोपी की जेब में 500–500 रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटो को गवाह श्री श्रवण कुमार सिंगारिया से गिनवाने पर 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये होना पाये गये। गवाह श्री महेन्द्र बिजारणिया को इस प्रकरण से

Scanned with CamScanner

सम्बंधित फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि देकर उक्त सभी नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो बरामद हुऐ सभी नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि 4,000 रूपये गवाह श्री श्रवण कुमार सिंगारिया के पास ही सुरक्षित रहने दिये गये। आरोपी श्री सुनिल खीचड की जामा तलाशी में आरोपी के जीन्स पेन्ट के पीछे की जेब में 2,310 रूपये तथा आरोपी का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड तथा एक ओप्पो कम्पनी का मोबाईल मिला। उक्त राशि के बारे में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ से पूछने पर उसने अपने खर्चे की राशि होना बताया। जिस पर उक्त राशि, पेनकार्ड व आधार कार्ड पुनः आरोपी श्री सुनिल खीचड़ को सुपुर्द किये गये तथा आरोपी का उक्त मोबाईल फोन मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने पास रखा। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी से उसका व उसकी माता श्रीमति फाउडी का पट्टा पेश करने का कहने पर परिवादी नें उसके पास से उसका एवं उसकी माता श्रीमति फाउडी के पट्टे की तीन–तीन प्रतियां पेश की। साथ ही परिवादी नें उसके एवं उसकी माता के नाम नगर पालिका रानी से दिनांक 18.08.2023 को जारी दो अग्रेषण पत्र पेश किये। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक से उक्त पट्टो से सम्बंधित पत्रावली एवं अन्य रिकार्ड के बारे में पूछने पर श्री किशनलाल नें अपने 69–क पट्टा शाखा (कार्यालय कक्ष) से परिवादी व उसकी माता श्रीमति फाउडी के पट्टो सम्बंधी कार्यवही की दो पत्रावलियां एवं 69–क का पट्टा दर्ज रजिस्टर पेश किये। तत्पश्चात् नगर पालिका परिसर में अत्यधिक भीड़–भाड़ होने व कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना रानी में करने का निर्णय लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मय हमराहियान ब्यूरो टीम, श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक व आरोपी श्री सुनिल खीचड़, ट्रेपबॉक्स, आरोपी के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगुठे धोवन की शीशिया, डिजीटल वॉयस रिकार्ड व आवश्यक उपकरणो एवं दस्तावेजात सहित अपने–अपने वाहनो से नगर पालिका से रवाना होकर पुलिस थाना रानी पहुंचा तथा थानाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मन् उप अधीक्षक पुलिस नें गवाह श्री श्रवण कुमार सिंगारिया के पास सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 08 नोटो का पुनः फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी राशि से मिलान करवाया गया। तत्पश्चात् उक्त बरामदा रिश्वत राशि 4,000 रूपये एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिश्वत राशि को वास्ते वजह सबूत तहवील एसीबी लिये गये। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के पहने हुए जीन्स पेन्ट के आगे की बांयी जेब से बरामद हुऐ है। आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई पेन्ट का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था करवायी गई। तत्पश्चात् एक प्लास्टिक के साफ डिस्पोजल गिलास में थाना हाजा से साफ पानी मंगवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब को उलटवाया जाकर जेब को दो–चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क पी–1 एवं पी–2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई उक्त पेन्ट को सुखाकर उक्त पेन्ट को एक सफैद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया तथा थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत पट्टो का अवलोकन किया गया तो राजस्थान नगर पालिका

Scanned with CamScanner

अधिनियम 2009 की धारा 69–क के तहत परिवादी श्री कमलेश कुमार के नाम पट्टा कमांक 1622 दिनांक 20.01.2023 तथा परिवादी की माता श्रीमति फाउडी के नाम पट्टा कमांक 1673 दिनांक 10.02.2023 जारी किये हुए होना पाये गये। उक्त मूल पट्टो की फोटोप्रतियां करवायी जाकर फोटो प्रतियो पर गवाहान एवं सम्बंधीतान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये तथा मूल पट्टे परिवादी को पुनः लौटाये गये। साथ ही श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक द्वारा पेश परिवादी की पट्टा पत्रावली पृष्ठ सं. 01 से 28 तक एवं उसकी उसकी माता श्रीमति फाउडी देवी की पट्टा पत्रावली पृष्ठ सं. 01 से 27 तक एवं 69–क पट्टा दर्ज रजिस्टर का अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। उक्त 69–क पट्टा दर्ज रजिस्टर में कम सं. 1933 पर परिवादी श्री कमलेश का नाम अंकित है तथा कम सं. 1934 पर परिवादी की माता श्रीमति फाउडी का नाम अंकित है तथा पट्टा प्राप्तकर्ता के रूप में दोनो ही स्थानो पर परिवादी श्री कमलेश कुमार के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त दोनो पट्टा पत्रावलियो एवं पट्टा दर्ज रजिस्टर की फोटोप्रतियां करवायी जाकर फोटो प्रतियो पर गवाहान एवं सम्बंधीतान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये तथा दस्तावेजात पुनः नगर पालिका को लौटाये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सुनिल खीचड़ की जामा तलाशी में मिले ओप्पो कम्पनी के मोबाईल का अवलोकन किया तो उक्त मोबाईल में दो सिम कार्ड नं. 9660763041 एवं 6375307394 होना पाये गये। उक्त मोबाईल में वाट्सऐप चैट्स का अवलोकन किया गया तो कोई संदिग्ध चेट्स या मैसेज इत्यादि नहीं होना पाये गये। उक्त मोबाईल फोन स्वीच ऑफ कर आरोपी श्री सुनिल खीचड़ को पुनः सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वत राशि तैयार की जाकर फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही बाबत् आवश्यक हिदायत देते हुए अति. पुलिस अधीक्षक एवं श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. जरिये निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय पाली के लिये रवाना हुऐ।

चूंकि रिश्वत राशि आदान–प्रदान घटनास्थल का मौका मुआयना किया जाकर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब की जानी है। अतः श्री पूनाराम कानि., श्री नरेन्द्र कानि. एवं श्री दशरथ सिह कानि. को ट्रेपबॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, शिल्डशुदा रिश्वत राशि, आरोपी की पेन्ट का पैकेट, आरोपी के हाथ एवं जीन्स पेन्ट की जेब धोवन की शीशियो एवं आरोपी श्री सुनिल खीचड़ की निगरानी हेतु मामूर कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री कमलेश कुमार के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन पुलिस थाना रानी से रवाना होकर नगर पालिका रानी पहुंचा, जहां परिवादी श्री कमलेश कुमार की निशादेही से स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण एंव नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। घटनास्थल का मौका मुआयना करते समय कार्यालय परिसर में पर्याप्त मात्रा में रोड़ लाईट की रोशनी की व्यवस्था थी। बाद नक्शा मौका कार्यवाही के मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के पुनः पुलिस थाना रानी पहुंचा तथा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू आरोपी श्री सुनिल खीचड़ के साथ कार्यरत श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक पर्चा वितरण से आरोपी एवं परिवादी के मध्य दिनांक 07.08.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं आज दिनांक 18.08.2023 को हुई लेन–देन वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ताओ के मुख्य अंश आरोपी के सहकर्मियो को सुनाये गये, जिस पर उनके द्वारा रिकार्ड वार्ताओ में एक आवाज श्री सुनिल खीचड़ की ही होना बताया। उक्त कार्यवाही की फर्द आवाज पहचान मूर्तिब की जाकर फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल कार्यवाही की गई।

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात् आरोपी श्री सुनिल खीचड़ सफाई कर्मचारी नगर पालिका रानी जिला पाली को उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना उसके कहेनुसार उसके सहकर्मी श्री किशनलाल कनिष्ठ लिपिक को दी गई। आरोपी का राजकीय अस्पताल रानी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् मौके की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री कमलेश कुमार, ब्यूरो जाब्ता व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुनिल खीचड़ मय मालखाना आईटम्स माफिक फर्दात, ट्रेपबॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं अन्य साथ लाये उपकरणो के जरिये सरकारी बोलेरो एवं निजी वाहन के पुलिस थाना रानी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा एवं आरोपी श्री सुनिल खीचड़ को पुलिस थाना कोतवाली की सुरक्षित हवालात में जमा करवाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

ताबाद प्रकरण से सम्बंधित जब्तशुदा रिश्वत राशि 4,000 रूपये कपडे की थैली में शिल्डशुदा, आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे के धोवन की शिशिया मार्क आर.एच–1 व आर.एच–2 शिल्डशुदा, आरोपी के बायें हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे के धोवन की शिशिया मार्क एल.एच–1 व एल.एच–2 शिल्डशुदा, रिश्वत राशि बरामद स्थल आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट के आगे की बांयी जेब के धोवन की शीशियां मार्क पी–1 व पी–2 शिल्डशुदा, आरोपी का वक्त वाका पहना हुआ जीन्स पेन्ट कपडे की थैली में शिल्डशुदा आदि माफिक फर्दात के श्री पूनाराम कानिस्टेबल नं. 165 (मालखाना प्रभारी) को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। रात्री अधिक हो जाने से रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, की आईन्दा फर्द ट्रान्सकीप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। परिवादी को रात्री विश्राम करने की हिदायत कर कार्यालय पर ही रखा गया तथा दोनो गवाहो को प्रातः 09:00 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 19.08.2023 को दोनो स्वतंत्र गवहान ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आये। चूंकि परिवादी श्री कमलेश कुमार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित है। अतः उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ व परिवादी के मध्य दिनांक 18.08.2023 को वक्त रिश्वत राशि लेन–देन रूबरू हुई वार्ता, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप के माध्यम से सुन–सुनकर एवं समझ–समझकर शब्द–ब–शब्द फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार करना प्रारम्भ की गयी। रिकार्ड वार्ता में परिवादी नें स्वयं एवं आरोपी श्री सुनिल खीचड़ की आवाज की पहचान की। फर्द रिश्वत राशि लेन–देन मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को तीन पेन ड्राईव में डाउनलोड करवाया गया। एक पेन ड्राईव मूल मानते हुए रूबरू मौतबिरान एक कपडे की थैली में डालकर थैली को शिल्ड मोहर किया गया तथा थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। फर्द ट्रान्सकीप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा तैयार की गई। उक्त मूल पेन ड्राईव शिल्डशुदा एवं दो पेन ड्राईव खुली हालत में श्री पूनाराम कानिस्टेबल (मालखाना प्रभारी) को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात् अब तक की कार्यवाही में जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल्स एवं फर्दात पर उपयोग में ली गई पीतल की सील का दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू नमूना लिवाया जाकर फर्द मूर्तिब की गई तथा फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

Scanned with CamScanner

अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया कि आरोपी श्री सुनिल खीचड़ सफाई कर्मचारी नगर पालिका रानी जिला पाली द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर वैध पारितोषण से भिन्न पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से परिवादी श्री कमलेश कुमार के रानी स्थित मकान स्वयं के नाम व अपनी माता श्रीमति फाउडी के नाम नगर पालिका रानी से पट्टे बनवाये। श्री सुनिल खीचड़ द्वारा उक्त पट्टे परिवादी को देने की ऐवज में 5,100 रूपये की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी श्री कमलेश कुमार नें दिनांक 07.08.2023 को ब्यूरो चौकी पाली में उपस्थित होकर दी। जिस पर ब्यूरो द्वारा परिवादी की शिकायत का मांग सत्यापन करवाया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी द्वारा 4000 रूपये की मांग करना तय हुआ। जिसके कम में दिनांक 18.08.2023 को ब्यूरो द्वारा आरोपी के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सुनिल खीचड़ द्वारा परिवादी से 4,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर परिवादी को स्वयं व उसकी माता श्रीमति फाउडी के नाम के पट्टो की तीन–तीन प्रतियां व एक–एक अग्रेषण पत्र मूल ही सुपुर्द किये। आरोपी श्री सुनिल खीचड़ द्वारा परिवादी श्री कमलेश कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि आरोपी के पहने हुए जीन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब से बरामद किये गये।

आरोपी के हाथ धोवन एंव आरोपी के जीन्स पेन्ट की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवन की कार्यवाही की गई, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी/गुलाबी आया। इस प्रकार आरोपी श्री सुनिल खीचड़ सफाई कर्मचारी (सहयोग कर्मी 69क, पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री सुनिल खींचड़ पुत्र श्री रामकिशन खीचड़ उम्र 25 वर्ष जाति विश्नोई निवासी जयसिंह देशर मगरा पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर हाल सफाई कर्मचारी (सहयोग कर्मी 69क, पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी जिला पाली के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनिल खीचड़ सफाई कर्मचारी (सहयोग कर्मी 69क, पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी, जिला पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 223/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/8/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2595-98 दिनांक 19.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, रानी खुर्द, जिला पाली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

19/8/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।